ग्राम पंचायत गग्गल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016
भाग–1

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एंव उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गग्गल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगडा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क0	नाम	अवधि
1	श्री रविन्द्र बाबा	01/04/2013 से लगातार

सचिव :–

क0	नाम	अवधि
1	श्री अनिल कुमार	01/04/2013 से 09/02/2016
2	श्री शशिभूषण	01/02/2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत गग्गल विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :–

कम संख्या	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	पंचायत राजस्व की शेष वसूली	0.78
2	8	अनुदान राशि का अवरोधन	8.97
3	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय करने बारे	0.64
4	10	क्रय की गई सामग्री का भंण्डारण न करना	0.72

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत गग्गल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एंव वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14/12/2016 से 28/12/2016 तक ग्राम पंचायत गग्गल के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 01/14, 03/15 व 08/15 तथा व्यय के लिए माह 12/2013, 3/2015, व 10/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवदे न पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत गग्गल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 27 दिनांक 7/12/2016 द्वारा सचिव, पंचायत गग्गल से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत गग्गल, विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 4/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः

4.1 **स्वः स्त्रोत व अनुदानः**– ग्राम पंचायत गग्गल, के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) स्वः स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	370478.69	302863.00	13331.00	686672.69	136599.00	550073.69

2014—15	550073.69	308148.00	15252.00	873473.69	76554.00	796919.69
2015—16	796919.69	81227.00	24852.00	902998.69	202871	700127.69

(ख) अनुदान

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013—14	366685.00	2108799.00	6348.00	2481832.00	2126053.00	355779.00
2014—15	355779.00	2291388.00	285.00	2647452.00	1681045.00	966407.00
2015—16	966407.00	1505377.00	.	2471784.00	1575238.00	**896546.00**
					कुल योग (क+ख)	**1596673.69**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः—

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	केसीसी बैंक गग्गल	20058079474	699514.00
2	केसीसी बैंक गग्गल	50051472472	499809.00
3	केसीसी बैंक गग्गल	50051472483	85928.00
4	केसीसी बैंक गग्गल	50051472461	38349.00
5	केसीसी बैंक गग्गल	50051472449	79674.00
6	केसीसी बैंक गग्गल	50051472450	12.00
7	केसीसी बैंक गग्गल	50060322298	2809.00
8	केसीसी बैंक गग्गल	50051472494	9155.00
9	केसीसी बैंक गग्गल	20058005821	180810.00
		कुल योगः	**1596060.00**

बैंक समाधान विवरणः—

दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि	1596673.69
दिनांक 31.03.2016 को बैंक के अनुसार जमा राशि	1596060.00
दिनांक 31.03.2016 को हस्तगत राशि	613.69

5 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः—

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस

अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.1 नियमो के विरूद्ध नौ बैंक बचत खातों को खोलनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वः संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत गग्गल में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित नौ बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन सात अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 खाता 'ख' में अर्जित ₹0.07 लाख ब्याज को खाता 'क' मे अन्तरित न किया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत गग्गल के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹6633 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

माह/वर्ष	कुल ब्याज
2013—14	6348.00
2014—15	285.00
2015—16	—
कुल योग	**6633.00**

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए,

एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशाील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत गग्गल द्वारा इसके तैयार न किये जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹0.78 लाख वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

ग्राम पंचायत गग्गल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹77700 वसूली हेतु शेष थी।

(क) गृहकरः—

क0सं0	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ	अन्तशेष
1	2013—14	0	20200.00	20200.00	1650.00	18550.00
2	2014—15	18550.00	20800.00	39350..00	36050.00	3300.00
3	2015—16	3300.00	21700.00	25000.00	8100.00	16900.00

(ख) दुकानों का किरायाः—

क0सं0	किराएदार का नाम	मासिक किराया	जिस माह तक किराया दिया	दिना़क 31.3.16 तक शेष राशि
1.	प्यार चन्द	125.00	31.3.2016	शुन्य
2.	जगजीत सिंह	125.00	31.11.2009	9500.00
3.	विश्व वन्घु	125.00	31.3.2016	शुन्य
4.	किरन वाला	125.00	31.11.2009	9500.00
5.	पुष्प कुमार	150.00	31.12.2009	11400.00
6.	गुलशन सेठी	150.00	30.11.2004	18600.00
7.	सन्नी सैनी	475.00	30.11.2015	1900.00
8.	सन्नी सैनी	475.00	30.11.2015	1900.00
9.	रामनाथ चडडा	125.00	31.3.2016	शुन्य
			कुल योग	**52800.00**

(ग) मोबाईल टाबरः–

क0सं0	वर्ष	मोबाईल टाबर का नाम	देय राशि	प्राप्त राशि	शेष राशि
1.	2013.14	रिलायन्स व वोडाफोन	4000.00	शुन्य	4000.00
2.	2014.15	यथोपरि	4000.00	शुन्य	8000.00
3.	2015.16	यथोपरि	4000.00	4000.00	8000.00

कुल योग ₹16900 +52800 +8000 = ₹77700

अतः उपरोक्त बकाया राजस्व की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

7 नियमानुसार सावधि जमा निवेश न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक में अधिक ब्याज अर्जित करने के उददेश्य से निवेशित किया जा सकता है। परन्तु ग्राम पंचायत गग्गल द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई भी निवेश सावधि जमा में नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में यथोचित शेष उपलब्ध था। अतः ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उददेश्य से सावधिक जमा में यथोचित राशि निवेश की जाए।

8 अनुदान ₹8.97 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹896546 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न–भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से बंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों को प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.64 लाख के पत्थरों का क्रय करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹69040 के रेत, बजरी व अन्य निर्माण सामग्री का क्रय निविदा सम्बन्धी औरचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः औरचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय की गई सामग्री का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण कर ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क0	वाउचर संख्या	बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	93/ 18.12.13	87/24.8.13. मनरेगा	मै0 चौधरी बिल्डर्स	रेत क्रशैर ट्रैक्टर फेरा	80 फीट 5 न0	28 400	2240.0 2000.0
2	125/ 16.3.15	139/15.1.15 एमपी लैड	मै0 सतीश कुमार	ईन्टें	3000 न0	620	18600.00
3	126/ 16.3.15	143/15.2.15	मै0 सतीश कुमार	क्रशैर मिक्सव रेत	150 फीट 150 फीट	28 32	4200.00 4800.00
4	133/ 31.3.15	–/25.3.15	मैर्सज सुभद्रा देवी	ईन्टें	6000न0	6.20	37200.00
					कुल योग		**69040.00**

10 क्रय किये गये सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 से 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान निम्नविवरणानुसार क्रय कये गये सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री को क्रय के उपरान्त न तो भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया गया और न ही इसका आगामी निपटारा किया गया जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब क्रय किये गये सीमेंट व अन्य सामग्री को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत किया जायेः–

क0	वाउचर संख्या	बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	34/ 13.10.15	179985/ 27.10.15	सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	सीमेन्ट	90 वैग	273	24570
2	36/ 24.10.15	168/ 24.10.15	मैसर्ज सतीश कुमार	क्रैशर रेत व रोडी	300 फीट 300 फीट	35/ 32/	10500 9600
3.	125/ 16.3.15	139/ 15.1.15एमपी लैड	मै0 सतीश कुमार	ईन्टें	3000 न0	6'20	18600
4.	126/ 16.3.15	143/ 15.2.15	मै0 सतीश कुमार	क्रैशर मिक्सव रेत	150 फीट 150 फीट	28 32	4200. 4800
					कुल योग		72270.

11 वाउचर संख्या 103 दिंनाक 13.12.15 ₹88684/–

₹88684 का भुगतान मै0 श्री बालाजी ट्रेडर्ज धर्मशाला रोड कांगडा को विल संख्या 985 दिनांक 30.7.13 ₹35338 व 721 दिंनाक 30.7.13 ₹53354 रसीद संख्या शुन्य दिनांक 10.12.13 की एवज मे निम्न विवरणनुसार सामग्री की आपूर्ति हेतु किया गया

क्रम सं0	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1.	एंगल	92 किलो 300 ग्राम	44	4061.20
2.	चैनल	240 किलो 600 ग्राम	45	10827.00
3.	पाईप	330 किलो	56	18480
4.	कुन्डास	28 पीस	10	280
5.	वैल्डिंग रोड	3 पैकेट	160	480
6.	एंगल	304 किलो 400 ग्राम	44	13393
7.	पेच	300 पीस	3	900
8.	शीटस	34 पीस	1050	35700
			वैट	**4563**
			कुल योग	**88684**

बिल की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई जिनका निपटारा करके किये गये व्यय को उचित ठहराया जाये।

1 उपरोक्त विल द्धारा क्रय की गई सामग्री को क्रय करने से पूर्व किसी भी औपचारिकता को पूरा नही किया गया जिसका औचित्य सपश्ट करते हुऐ सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर ईसे नियमित करवाया जाये ।

2 हि0.प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा उपरोक्त क्रय किये गये सामान को स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, से 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत द्धारा नियमों की अवहेलना करके क्रय किये सामान की स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई थी और न ही इसका

आगामी निपटारा किया गया। जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब क्रय किये गये सामान को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत किया जाये।

12 ईन्टों इत्यादि के लिये किया गया ₹5320 का अधिक भुगतानः—

जांच के दौरान पाया गया कि एम0 पी0 लैड अनुदान मे से दिनांक 14.7.15 को वाउचर संख्या 6 द्वारा मै0 सतीश कुमार को विल संख्या 156 दिनांक 20.6.15 के लिये ₹7.53 की दर से 4000 न0 ईन्टों के लिये ₹37650 का भुगतान किया गया जबकि उक्त फर्म द्वारा ईन्टों की आपूर्ति हेतु ₹6.20 की दर अपनी निविदा मे दी गई थी। अतः निविदा मे दी गई दर से अधिक दर ₹7.53 पर ईन्टें आपूर्ति करने का औौचित्य स्पष्ट करते हुऐ अधिक भुगतान की गई राशि (₹7.5 3-6-20=1.33×4000=₹5320) की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विपभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख—रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख—रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्टरों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख—रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

कम सं0	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	शराब शुल्क प्राप्ति रजिस्टर
3	चल—अचल सम्पत्ति रजिस्टर

4 निर्माण कार्य रजिस्टर
5 अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
7 विकास निष्पादन रजिस्टर
8 पेशगी रजिस्टर

15 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान व्यय की गई अनुदानों की राशि की सत्यतता की जॉच नहीं की जा सकी। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों से सम्बधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—**यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः—**लेखों के रख—रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 85/2017—खण्ड—1—2357—2360 दिनाँकः 25.04.2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत गग्गल, विकास खण्ड धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.